

उत्तर प्रदेश शासन  
वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग  
संख्या- 2/2017- आर0जी0-589/दस-2017-7/2017  
लखनऊ: दिनांक: 15 मई, 2017

**कार्यालय-जाप**

7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय में हो रही बढ़ोत्तरी, केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के वित्त पोषण हेतु समुचित संसाधन उपलब्ध कराये जाने की प्रतिबद्धता तथा सरकार के विकासगत कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाये जाने के उद्देश्य से संसाधन समिति का गठन किया जाता है। यह समिति प्रदेश में संसाधनों में बढ़ोत्तरी की आवश्यकता की दृष्टि से राज्य के मुख्य कर एवं करेत्तर राजस्व स्रोतों में अभिवृद्धि लाये जाने हेतु नये उपायों, वर्तमान कर की दरों में परिवर्तन तथा कर प्रशासन आदि को सुदृढ किये जाने के सम्बन्ध में सुझाव देगी। यह समिति करापवंचन पर नियंत्रण के सम्बन्ध में भी विचार कर संस्तुति करेगी।

उक्त समिति का स्वरूप निम्नवत होगा:-

1.	मा0 वित्त मंत्री	-	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त	-	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य-कर	-	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव, आबकारी	-	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म	-	सदस्य
6.	अपर मुख्य सचिव, वन	-	सदस्य
7.	अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण	-	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव, परिवहन	-	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं निबन्धन	-	सदस्य
10.	प्रो0 एम0के0 अग्रवाल, अर्थशास्त्री	-	सदस्य
11.	श्री मनीष कपूर, उद्योगपति	-	सदस्य
12.	श्री आलोक कुमार, प्रदेश के व्यापारिक संगठन का प्रतिनिधि/ एडवोकेट	-	सदस्य
13.	श्री संजीव सिंघल, चार्टर्ड एकाउंटेंट	-	सदस्य, सचिव
14.	सचिव, वित्त		

समिति यथावश्यकतानुसार समय-समय पर अपनी बैठकें करेगी।

**अनूप चन्द्र पाण्डेय**

अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त

**संख्या: 2/2017-आर0जी0-589(2)/दस-2017-7/17 तददिनांक**

उपर्युक्त समिति के गठन की सूचना

1. निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री जी को मा0 वित्त मंत्री जी के सूचनार्थ।
2. समस्त सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के सूचनार्थ।

**आज्ञा से,**

**(मुकेश मित्तल)**

**सचिव, वित्त।**

**संख्या: 2/2017-आर0जी0-589(3)/दस-2017-7/17 तददिनांक**

**प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-**

- (1) प्रो0 एम0के0 अग्रवाल, अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
- (2) श्री मनीष कपूर, 62 गांधी नगर, सिगरा, वाराणसी ।
- (3) श्री आलोक कुमार, 166, एसएफएस अपार्टमेंट, हौज खास, नई दिल्ली।
- (4) श्री संजीव सिंघल, 5/119, राजनगर, गाजियाबाद।

**आज्ञा से,**

**(मुकेश मित्तल)**

**सचिव, वित्त ।**

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।